राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 114/2013/उदयपुर
अपील संख्या 115/2013/उदयपुर
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम,प्रतिकरापवंचन,उदयपुर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स फूलचन्द पोखरणा एण्ड कम्पनी
उदयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री पी.डी.जावरिया
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 19.03.2015

निर्णय

ये दोनों अपीलें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम,प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा)ने उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक,उदयपुर के द्वारा अपील संख्या 172/आरएसटी/रिमाण्ड/11–12 एवं 173/आरएसटी/रिमाण्ड/11–12 में पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 25.07.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। दोनों अपीलें एक ही व्यवहारी से सम्बन्धित हैं तथा विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियॉ प्रत्येक पत्रावली पर रखी जाये।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्नीचर प्लास्टिक–मोल्डेड स्टील एवं लकडी का व्यवसाय करता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के आलोच्य अवधि का कर निर्धारण राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 29, 58,,61, 68 एवं 34 के अन्तर्गत निम्न तालिका के अनुसार कर,शास्त व ब्याज आरोपित करके मांग सृजित की गयी। उक्त सृजित मांग के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड में अपील संख्या 621 एसं 622/2005/उदयपुर प्रस्तुत की गई। कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा उक्त अपीलों पर गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात दिनांक 13.04.2011 को निस्तारण करते हए अपीलें अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित की गई। उक्त प्रतिप्रेषित निर्णय 13.04.2011 की पालना में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25.07.2012 को निर्णय पारित कर अपीलें स्वीकार की हैं। अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 25.07.2012 के विरूद्ध कर निर्धारण अधिकारी की ओर से उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं :–

अपील संख्या	कर.नि.वर्ष	कर.नि.आदेश	कुल सृजित मांग
114/13	87–99	20.03.2003	1,59,790/–
115/13	98–99धारा 34	20.03.2003	1,95,928

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि बिल्टी पर चेक पोस्ट की मोहर नहीं लगी है और माल को वापिस भेजते समय चेक पोस्ट पर इन्द्राज कराने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सृजित मांग को विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माल की क्वालिट खराब होने के कारण माल कम्पनी को वापस भेज दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में माल प्राप्तकर्ता कम्पनी सुप्रीम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, दिल्ली का एक शपथ एवं माल भेजने की बिल्टियॉ पूर्व में ही कर निर्धारण अधिकरी के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी हैं, इसलिए वक्त सर्वेक्षण माल पोतें नही हो सकता और इस कारण से माल कम मिला था। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में अपीलीय स्तर पर उद्ध1त किये गये माननीय उच्च न्यायालय (जयपुर बेंच) द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स ओम प्रकाश रमेश चन्द, खेडली एस.बी.सिविल सेल्स टैक्स पिटीशन नम्बर 177/2005 निर्णय दिनांक 23.03.2006 को उद्धरित करते हुए अपीलीय अधिकारी को यथावत रखकर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 25.07.2012 का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से दृष्टिगत होता है कि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष विक्रेता व्यवसायी का शपथ पत्र एवं बिल्टियॉ प्रस्तुत की गई,जिनको किसी भी जांच अथवा साक्ष्य के द्वारा मिथ्या अथवा फर्जी सिद्ध नहीं किया गया है। प्रकरण के तथ्यों से यह भी ज्ञात होता है कि सर्वेक्षण के पूर्व माल की क्वालिटी खराब होने के कारण माल को वापिस भेज दिया गया था,जिसके सम्बन्ध में पूर्व में ही शपथ पत्र एवं बिल्टी प्रस्तुत की गई थी,इस कारण वक्त सर्वे माल का कम मिलना स्वाभाविक था। उक्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात अपीलीय अधिकारी द्वारा कर बोर्ड के निर्णय के आधार यह निष्कर्ष दिया गया है कि चैक पोस्ट पर माल का इन्द्राज कराना बाध्यकारी नही था। इस आधार पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं शास्ति को अपास्त कर प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार की है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में यह पीठ अपीलीय अधिकारी के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का औचित्य नही समझती है। फलस्वरूप कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य